

पत्रांक
सेवा में,

दिनांक

मुख्य विकास अधिकारी
जनपद - चन्दौली।

विषय : - निर्मित लिटिल फोक्य गुरुकुलम कैली सकलडीहा जनपद - चन्दौली के भवन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण - पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : - आपका पत्रांक - 906 एस0 टी0 मु0 वि0 अ0 शिक्षा दिनांक 19/03/2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या - 89 अइसट - 3 - 2018- 2041 & 2018 दिनांक - 11.01.2019 तथा संख्यां - 196 अइसट - 3 - 2020 - 2018 दिनांक - 29.06.2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत लिटिल फोक्य गुरुकुलम् कैली सकलडीहा जनपद - चन्दौली के भवनों का स्थलीय निरीक्षण किया गया निरीक्षणोपरान्त प्रथम् दृष्टया विद्यालय भवन संतोषजनक पाया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित है जिसे संलग्नक चेकलिस्ट 22 बिन्दू प्रोफार्मा में अंकित किया गया है, जो जारी तिथि से एक वर्ष के लिये वैध माना जायेगा एवं किसी भी प्रकार का वाद - विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण - पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। शेष निर्मित भवन के स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि का दायित्व विद्यालय प्रबन्धन के स्वयं का होगा।

संलग्नक: चेकलिस्ट 22 बिन्दू प्रोफार्मा में।

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0

चन्दौली

दिनांक : - 28.03.2024

पत्रांक : - 82/AE III/2023-24

प्रतिलिपि: - डाईरेक्टर, लिटिल फोक्य गुरुकुलम् कैली सकलडीहा जनपद - चन्दौली को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0,
चन्दौली
28/03/2024

नेशनल बिल्डिंग कोड (भूकम्परोधी) चेकलिस्ट प्रमाण-पत्र

मालय का नाम- लिटिल फोल्कस् गुरुकुलम् कैली सकलडीहा जनपद-चन्दौली।

क्र०सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जॉच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकार/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिला से अधिक ऊँचा है ?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हे० 1800 वर्गमी० है ?	नहीं
5	क्या भवन के चारों तरफ 6 मी० खुला स्थान है ?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ/नहीं
7	क्या भवन का ओरियेंटेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (अप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	नहीं
9	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गई ?	हाँ
10	क्या भवन की दिवार ईट या पत्थर की सिमेन्ट मसालों से बनी है ?	हाँ
11	क्या भवन की दिवारों/छतों में कैंक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की उचाई फर्श से न्यूनतम 3.60 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.00 मी०) है ?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00 मी० एवं उचाई 4.50 मी० है ?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों के न्यूनतम मोप (चौड़ाई 1.00 मी० उचाई 2.00 मी०) है ?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि०मी० ट्रेड 300 मि०मी० तथा राइज़र 150 मि०मी० है ?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशमक यन्त्र (Fire Extinguisher) तथा ऑटोमैटिक स्पिन्कलर सिस्टम (Automatic Sprinkler system) उचित स्थान पर लगे हैं ?	अग्निशमन विभाग द्वारा परीक्षण किया जाता है।
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid fire fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	उपरोक्त
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	उपरोक्त
22	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First aid Box) की व्यवस्था है ?	हाँ


 सहायक अभियन्ता
 प्रस्ताव खण्ड, लो०नि०वि०,
 चन्दौली
 28/03/2024